

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY सापाहिक WEEKLY

屯, 13] No. 13] NEW DELH

नई दिल्ली, मार्च 24—मार्च 30, 2019, शनिवार∕ चैत्र 3—चैत्र 9, 1941 NEW DELHI, MARCH 24—MARCH 30, 2019, SATURDAY/CHAITRA 3—CHAITRA—9, 1941

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

भाग II--खण्ड ३--उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि

सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2019

एवं क्षारोद कारखाना उपक्रम [अनुसंधान तथा विकास प्रबंधक, उप उत्पादन प्रबंधक, शिफट केमिस्ट (रसायन इंजीनियर) और रसायन इंजीनियर) और रसायन इंजीनियर) भेर रसायन इंजीनियर (ङिजाईन)] भर्ती नियमावली 1986, में इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यो तथा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, जहां तक उनका सम्बन्ध उप उत्पादन प्रबन्धक के पद से हैं, राष्ट्रपति एतद्द्वारा उप उत्पादन प्रबन्धक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच के पद पर मर्ती की पद्धित को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम सा.का.नि. 82.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा शासकीय अफीम बनाते हैं, अर्थात्:

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्म–
- (क) इन नियमों का शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, उप उत्पादन प्रबन्धक भर्ती नियमावली, 2019 कहा जात्या।
- (ख) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर--उक्त पदों की संख्या, तथा उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

1774 GI/2019

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Circumstances in which Union Public Service	Circumstances in which Union Public Service
composition	Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Consultation with Union Public Service Commission
considering promotion) consisting of:-	necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contact)
Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories, New Delhi - Chairman;	
2. General Manager, Government Opium and	
Alkaloid Works, Neemuch – Member;	
3. General Manager, Government Opium and	
Alkaloid Works, Ghazipur – Member.	

[F.No. II(17)3/Estt/CCF/2011]

T. K. SATPATHY, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2019

सा.का.नि. 83. — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई, कनिष्ठ लेखा अधिकारी (समूह 'ख'पद) भर्ती नियम, 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। ď
- **3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **1. निरर्हता—** वह व्यक्ति –
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहतें हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- **शिथिल करने की शक्ति** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामशी करके, इन नियमों के किसी उपवंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। က်
- **व्यावृत्ति —** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । ø,

अनुसूची

			Ē	\ 8	<u>च</u>		<u>.</u>	冲	/€	ब्र	<u>च</u>	इश	<u></u>		और	Ē	ᆏ	ज ् य	
लिए आयु-सीमा	(9)	। अधिक नहीं ।	केन्द्रीय सरकार द्वारा ज	र् अनुदेशों या आदेशों	मरकारी सेवकों के लिए प	शिथल की जा सकती है।	: आय्-सीमा अवधारित क	निर्णायक तारीख भारत	ों से आवेदन प्राप्त करने	यत की गई अंतिम तार्	कि वह अंतिम तारीख	ालय, अरूणाचल प्रदे	मणिपुर, नागालैंड, त्रिपु	जम्मू-कश्मीर राज्य के लह	गचल प्रदेश के लाहोल ः	ले तथा चम्बा-जिले का प्	भंदमान और निकोबार द्वीप	के अभ्यर्थियों के लिए वि	=
		30 वर्ष से	टिप्पण1:	किए गा	अनुसार	वर्षतक ि	टिप्पण 2	के जिए	अभ्यर्थिय	<u>नि</u>	होगी।(न	असम,मेघ	मिजोरम,	सिक्किम,	खंड हिम	स्पीति जि	उपखंड, 3	लक्षद्वीप	की गई है)।
अचयन पद	(5)	लागू नहीं होता		-															
में स्तर	(4)	वेतन मैट्रिक्स	में स्तर-6	(35400-	112400 전)													•	
	(3)	साधारण केन्द्रीय	सेवा, समुह 'ख'	अस्तानानिय	न्द्राचा नेद्रां स्टाह्म	अनुसाचवाय	-			ı	,								
	(2)	01*	(2019)	**************************************	ارا ما الراماء الراماء	आधार पर	पारवतन किया	जा संकता ह											
	(1)	कनिष्ठ लेखा	अधिकारी																
		में स्तर अचयन पद (3) (4) (5)	से स्तर अच्यन पद (2) (3) (4) (5) प्राधारण केन्द्रीय बेतन मैट्रिक्स लागू नहीं होता 30 वर्ष से 3	(2) (3) (4) (5) (5) (2019) से स्तर-6 (7019) से बा, समुह 'ख' में स्तर-6 (7019) से बा, समुह 'ख' में स्तर-6	(2) (3) (4) (5) (5) (2019) सेवा, समूह 'ख' में स्तर-6 (35400-	(2) (3) (4) (5) (5) (2019) सेवा, समूह 'ख' (35400- *कार्यभार के अराजपत्रित, 112400 रु.)	(2) (3) (4) (5) (5) (2019) सेवा, समूह 'ख' वेतन मैद्रिक्स लागू नहीं होता वेतन मैद्रिक्स लागू नहीं होता में स्तर-6 (35400- अशार पर अनुसचिवीय 112400 रु.)	(2) (3) (4) (5) 01* साधारण केन्द्रीय वेतन मैट्रिक्स लागू नहीं होता (2019) सेवा, समूह 'ख' में स्तर-6 *कार्यभार के अराजपत्रित, (35400- आधार पर अनुसचिवीय परिवर्तन किया	(2) (3) (4) (5) (5) (2019) सेवा, समूह 'ख' वेतन मैट्रिक्स लागू नहीं होता वेतन मेट्रिक्स अराजपत्रित, (35400- वासकता है वासकता है	(2) (3) (4) (5) (5) (2019) सेवा, समूह 'ख' वेतन मैद्रिक्स लागू नहीं होता (2019) सेवा, समूह 'ख' में स्तर-6 (35400- अधार पर अनुसचिवीय 112400 रु.) वा सकता है	(2) (3) (4) (5) (5) (2019) से स्तर अचयन पद (2019) सेवा, समूह 'ख' में स्तर-6 (35400- अधार पर अनुसिचिवीय परिवर्तन किया जा सकता है	(2) (3) (4) (5) (5) (1) (5) (2019) सेवा, समूह 'ख' में स्तर-6 (35400- अधार पर अनुसचिवीय वा सकता है वा सकता है	(2) (3) (4) (5) (5) (10) (2019) से साधारण केन्द्रीय वेतन मैद्रिक्स लागू नहीं होता मेह्रक्स कार्या नहीं होता मेह्रक्स लागू नहीं होता मेहक्स कार्या नहीं होता से स्तर-6 (35400- अधार पर अनुसचिवीय परिवर्तन किया जा सकता है	(2) (3) (4) (5) (5) (1) (2019) सेवा, समूह 'ख' पेतत-तिक्ति वित्रम मिट्रेक्स लागू नहीं होता पेतत-तिक्ता कराजपत्रित, अनुसचिवीय जा सकता है जा सकता है	(2) (3) (4) (5) (5) (2019) सेवा, समूह 'ख' वेतन मैद्रिक्स लागू नहीं होता में स्तर-6 (35400- अधार पर अनुसचिवीय परिवर्तन किया है विकास करा है	(2) (3) (4) (5) (5) (1) (1) (5) (2019) सेवा, समूह 'ख' पेरतर-6 अराजपत्रित, अनुसिचिवीय जा सकता है जा सकता है	(2) (3) (4) (5) (5) (2019) सेवा, समूह 'ख' वेतन मैद्रिक्स लागू नहीं होता में स्तर-6 (35400- अहार पर अनुसिचिवीय परिवर्तन किया है विस्तर है (35400- जा सकता है विस्तर है (35400-	(2) (3) (4) (5) (5) (1) (2019) सेवा, समूह 'ख' प्रेत्तन मैद्रिक्स लागू नहीं होता प्रेत्तन मैद्रिक्स लागू नहीं होता प्रेत्तन मैद्रिक्स लागू नहीं होता प्रेक्त भव, समूह 'ख' प्रेन्तन-6 (35400-अराजपत्रित, अनुसचिवीय प्रित्वतिन किया जा सकता है जा सकता है	(2) (3) (4) (5) (5) (2019) से साधारण केन्द्रीय वेतन मैद्रिक्स लागू नहीं होता मेद्रिक्स निर्मात के अराजपत्रित, अराजपत्रित, अनुसचिवीय परिवर्तन किया जा सकता है जा सकता है

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	सीधी भर्ती किए जाने	परिवीक्षा की	भती की पदाति : भती सीधी होगी या
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	वाले व्यक्तियों के लिए	अवधि, यदि कोई	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा
	विहित आयु और	√te	तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
	शैक्षिक अहंताएं प्रोन्नत	·/	रिक्तियों की प्रतिशतता
	व्यक्तियों की दशा में		
	लागू होगी	-	
(2)	(8)	(6)	(10)
आवश्यकः	लामू नहीं होता	से वर्ष	मीधी भर्ती द्वारा
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या			टिप्पण 1 : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या
संस्थान से डिग्री।			लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी
अनुभव : किसी सरकारी कार्यालय या			अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के जिस जातर रतने के करणा
पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वशासी			의 교수 (이 1 대
निकाय या कानूनी निकाय में रोकड़			हुद्र ।रासाया, कन्द्राय सरकार क एस अधिकारीओं में में स्टिनियानि बारा भारी बा
लेखा और बजट कार्य का दो वर्ष का			अविभारता न त अतान्युत्त क्षारा नरा था सक्रेती जो -
अनुभव ।			
टियम् 1 ः अर्दतााः अन्यथा मञ्जदिन			(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में
			नियमित आधार पर सदृश पद
अस्यायया का दशा म उन कारणा क			धारण किए हुए है :या
ावर्षणा व्यवबद्धा कर्षणार् कमचारा			
444 의소 454 시 184 4 명 4 R	-		ייין ופינוים פטר אולאלא א לטלי
विवकानुसार शिथिल की जा सकती है।			5 (29200-92300 ਨ.) ਸੇਂ ਤਸ ਧਵ
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं उन			पर छह वर्ष की नियमित सेवा की
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं			है∶या
कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम			*
प्राधिकारी के विवेकानसार अनुसचित	-		(III) जिन्हान बतन माट्रक्स म स्तर

-4 (25500-81100 रु.) में उस पद पर दस वर्ष नियमित सेवा की है ;और	(ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहंताएं और अनुभव है। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की
जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम	प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

ए) जिसमें गध्यक्षः, सदस्यः, सदस्यः,	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थतियों
(12) विभागीय प्रोन्नतिसमिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महानिदेशक (लोक स्वास्थ्य) (2) निदेशक (बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला) चेन्नई - सदस्य; (3) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (4) उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	आमेलन द्वारा भर्ती की	,	में संघ लोक सेवा आयोग से
(12) विभागीय प्रोन्नतिसमिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महानिदेशक (लोक स्वास्थ्य) (2) निदेशक (बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला) चेन्नई - सदस्य; (3) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (4) उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	दशा में वे श्रेणियां जिनसे		परामर्श किया जाएगा
(12) विभागीय प्रोत्रतिसमिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महानिदेशक (लोक स्वास्थ्य) (2) निदेशक (बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला) चेन्नई - सदस्य; (3) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (4) उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति		-
(12) विभागीय प्रोजतिसमिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महानिदेशक (लोक स्वास्थ्य) - अध्यक्ष; (2) निदेशक (बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला) चेन्नई - सदस्य; (3) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य;	/आमेलन किया जाएगा		
विभागीय प्रोशतिसमिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महानिदेशक (लोक स्वास्थ्य) - अध्यक्ष; (2) निदेशक (बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला) चेन्नई - सदस्य; (3) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य;	(11)	(12)	(13)
निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महानिदेशक (लोक स्वास्थ्य) (2) निदेशक (बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला) चेन्नई - सदस्य; (3) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (4) उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नतिसमिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	संघ लोक सेवा आयोग से
- अध्यक्ष; - सदस्य; - सदस्य; - सदस्य		निम्नलिखित होंगे:-	परामर्श करना आवश्यक नहीं
' '		,	dic
•		गशाला) चेन्नई	,
		•	

[फा.सं.ए-12018/12/2017-ईपीआई]

जी के पिल्लई, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 19th March, 2019

G.S.R. 83.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Accounts Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai namely: -

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCGVaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Junior Accounts Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2019.
- They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.—No person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving . Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE		
Name of the post	Number	Classification	Level in the	Whether	Age-limit for direct recruits
	of post		pay matrix	selection	
				post or	
	-			non-	
				selection	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
Junior Accounts	1*(2019)	General	Level -6, in the Not	Not	Not exceeding 30 years
Officer.	*Subject to Central	Central	pay matrix	applicable	Note 1 :Relaxable for Government
	variation	Services,	(Rs. 35400-		servants upto five years in
	dependent	Group 'B'	112400).		accordance with the instructions or
-	on workload.	Non-Gazetted,			orders issued by the Central
		Ministerial,			Government.
				•	Note 2: The crucial date for
					determining the age- limit shall be
					the closing date for receipt of
		-			applications from candidates in
					India and not the closing date
					prescribed for those in Assam,
				•••	Meghalaya, Arunachal Pradesh.
					Mizoram, Manipur, Nagaland,
					Tripura, Sikkim, Ladakh Division
					of Jammu and Kasmir State,
					Lahaul and Spiti District and Pangi
				- 1	Sub-Division of Chamba District
			-		of Himachal Pradesh, Andaman
					and Nicobar Islands and
					Lakshadweep.

Educational and other qualifications required	Whether age Period of	Period of	Method of recruitment whether hy
for direct recruits	and	probation,	direct recruitment or by promotion or
	educational	if any	by deputation/ absorption and
	qualifications	•	percentage of the vacancies to be
	prescribed for		filled by various methods
	direct recruits		
	will apply in		
	the case of		
	promotees		
(7)	(8)	(6)	(10)
Essential:	Not applicable	2 years	By direct recruitment.
Degree of a recognised University or Institute.		•	Note1: Vacancies caused by the
Experience: Two years experience in cash,		•	incumbent being away on deputation
account and budget work in a Government			or long illness or study leave or
Office or Public Sector Undertaking or			under other circumstances for a
autonomous body or statutory body.			duration of one year or more may be
Note 1: Qualifications are relaxable at the			filled on deputation basis from
discretion of the Staff Selection Commission			officers under the Central
or Competent Authority for reasons to be			Government,-
recorded in writing, in the case of candidates			(a) (i)holding analogous post on
otherwise well qualified.			regular basis in the parent cadre or
Note2: The qualification regarding experience			Department;
are relaxable at the discretion of the Staff			or
Selection Commission or Competent			(ii) With six years regular service in

posts in level-5 of the pay matrix (Rs. 29200-92300);	or (iii) with 10 years regular service in the posts in level-4 of the pay	matrix(Rs. 25500-81100); and	(b) possessing educational qualification and experience as	prescribed for direct recruits under Column 7. Note 7. The maximum and limit for	appointment by deputation shall be	not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to	Scheduled Castes or Scheduled Tribes, it at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the	opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the	requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for	them.		

In case of recruitment by If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Circumstances in	If a Departmenta	l Promotion	Committee	exists,	what	is it	Circum	stances	ij.
promotion or deputation composition	composition						which [which Union Public	dic
or absorption, grades		•					Service		
from which promotion							Commi	Commission is to be	þ
or deputation or							consult	consulted in making	ing
absorption to be made							recruitment	ent)
(11)		1)	(12)					(13)	
Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering Consultation	romotion	Committee	(for	consic	ering	Consult	1	with
	confirmation) consisting of:-	sisting of:-					Union	Put	Public
	1. Deputy Director, General (Public Health)	General (Publi	ic Health)		-Chairman;	rman	<i>V</i> 2		
	2. Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai	Vaccine Labora	tory, Chenna		-Member;	ber:		ssion	not To
-	3. Director, Directorate General of Health Services	orate General o	f Health Serv	ices	-Member;	nber;	necessary.	÷	
	4. Deputy Director Admn.	Admn.	-		-Member.	ber.			

[F. No. A-12018/12/2017-EPI] G. K. PILLAI, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2019

राष्ट्रपति, संविधान के अनुस्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ट सर्वेक्षण विमाग ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक भर्ती नियम, 1984 और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है. अनुवादक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-सा.का.नि.84.-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारं**म —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण विभाग (कनिष्ठ अनुवादक और ज्येष्ट अनुवादक) भर्ती नियम, 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **मतीं की पद्धति, आयु-सीमा एवं अन्य अर्हताएं आदि** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं। က်